(243) (367)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म0प्र0)

COURT FEE INDIA FIVE RUPEES COURT FEE INDIA FIVE RUPEES COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES

श्रीमती उर्मिला सोंधिया पत्नी श्री रामदिनेस कहार, उम्र– 40 वर्ष, पेशा घरू कार्य निवासी ग्राम ब्रम्हागढ़, पो0 षोड़मानी, तहसील व थाना हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)

..................*निगरानीकर्ता*

बनाम

शासन मध्यप्रदेश

....................*गैर निगरानीकर्ता*

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार वृत्त खटखरी, तह0 हनुमना के प्र.क्र. 30/ए–3/13–14 आदेश दिनांक 13.10.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रकिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि भूमि ख.नं. 68/11क/3 रकवा 1.37 ए0 एवं ख.क्र. 68/12क/3 रकवा 1.94ए0 कुल किता 2 रकवा 3.31ए0 स्थित आराजी ग्राम ब्रम्हागढ़, प0ह0 नं. 28, ज.नं. 705, रा.नि.मं. खटखरी, तहसील हनुमना जिला रीवा को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.11.2005 को भूमिस्वामी बैजनाथ, मनफेर व रामनाथ तीनों के पिता बेलखण्डी कुर्मी सा0 ब्रम्हागढ़, तह0 हनुमना जिला रीवा से निगरानीकर्ता 56,000रु0 में क्रय कर अपने नाम नामांतरण करा लिया तथा मौके से कब्जा दखल प्राप्त कर लिया जिस पर निगरानीकर्ता ने माकान का निर्माण भी करा लिया था व शेष रकवे में कृषि कार्य कर रही थी।

3– यह कि उपरोक्त भूमि निगरानीकर्ता की एक चेक भूमि है जो दोनों भूमियां आपस में लगी हुई हैं तथा मौके पर निगरानीकर्ता काश्त भी कर रही थी, उक्त विक्रय पत्र के आधार पर निगरानीकर्ता ने अपने नाम उपरोक्त भूमियों का नामांतरण करा चुकी थी लेकिन निगरानीकर्ता को अपने भूमि की सीमा की

उर्मिला

III/I

2→ जयसुमिरन पिता शिवलाल विश्वकर्मा उम्र-40 वर्ष
3→ जय विसर्जन पिता शिवलाल विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष
4- कमलावती पत्नी रामसागर बढ़ई उम्र-40 वर्ष
5- बैजनाथ कुर्मी पिता बेलरवण्डी कुर्मी उम्र-68 वर्ष
6- मनफेर तनय बेलरवण्डी कुर्मी उम्र - 65 वर्ष
7- रामनाथ पिता बेलरवण्डी कुर्मी उम्र - 65 वर्ष
सभी निवासी ग्राम बम्हागढ़ पो०-खोड़्यानी तहसील
हनुमना जिला रीवा (म०प्र०).

— गैरनिगरानीकारगण

श्रीमान् के आदेशानुसार संशोधन आदेश दिनांक 23-5-18 को अहुस्ताक्षरित किया गया।

243

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक ...निग/निगरानी/17/2239... जिला ...सीधी...

श्रीमती उर्मिला लोधिया ...विरूद्ध... शासन, जयप्रकाश विश्वकर्मा वगैरह

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री ...नरेन्द्र तिवारी... अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील ...हनुमना (रवरघरी)... के प्रकरण क्रमांक 30/अ-3/13-14 में पारित आदेश दिनांक 13-10-14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर ...सीधी... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ...16-4-19... को कलेक्टर ...सीधी... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

उर्मिला